28 incidents of custodial deaths in Assam in last five years

https://www.sentinelassam.com/guwahati-city/28-incidents-of-custodial-deaths-in-assam-in-last-five-years-660968

A total of 28 custodial deaths in police custody were reported in Assam in the previous five financial years.

GUWAHATI: A total of 28 custodial deaths in police custody were reported in Assam in the previous five financial years. This data came to light as per the number of registered cases given by the National Human Rights Commission (NHRC). In 2018-2019, five cases were reported: two in 2019-2020, one in 2020-2021, nine in 2021-2022, and 11 in 2022-2023, bringing the total number to 28. As per the number of registered cases of the NHRC, a statement showing the year-wise and State-wise number of cases registered about custodial deaths in police custody was released. According to this list, a total of 687 custodial deaths were recorded across the country between April 1, 2018 and March 31, 2023.

Meanwhile, eight incidents took place in Manipur, seven in Meghalaya, six in Arunachal Pradesh, three each in Tripura and Mizoram, two in Nagaland, and one in Sikkim during the same five-year duration. If we consider the whole nation, 136 such incidents took place in 2018-2019, 112 in 2019-2020, 100 in 2020-2021, 175 in 2021-2022, and 164 in 2022-2023, bringing the total number to 687 in the five years under consideration.

HINDUSTAN TIMES, Delhi, 4.8.2023
Page No. 19, Size:(16.68)cms X (12.33)cms.

■ The National Human Rights Commission organised a function at its premises in New Delhi to present awards to its short film competition-2022 winners. The NHRC Chairperson and members presented the awards. Nilesh Ambedkar's film, "Chirbhog" was awarded the first prize.

सिलिकोसिस पीड़ितों के मुआवजे पर एनएचआरसी ने मांगी रिपोर्ट

https://www.msn.com/hi-in/news/jharkhand/%E0%A4%B8-%E0%A4%B2-%E0%A4%95-%E0%A4%B8-%E0%A4%B8-%E0%A4%AA-%E0%A4%A1%E0%A4%BC-%E0%A4%A4-%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%86%E0%A4%B5%E0%A4%9C%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%8F%E0%A4%A8%E0%A4%8F%E0%A4%9A%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%B8-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AE-%E0%A4%82%E0%A4%97-%E0%A4%B0-%E0%A4%AA-%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F/ar-AA1eKTaS

जिले के 300 सिलिकोसिस मजदूरों के मुआवजे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है और राज्य के मुख्य सचिव से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। उक्त मजदूरों को अब तक जिला प्रशासन की ओर से मुआवजा नहीं मिला है, जबकि सूची 2014 से लेकर 2020 तक में तैयार हो गई थी। प्रशासन ने जब मुआवजे की पहल की तो उसमें 27 मजदूरों का ही नाम था। 2014 में प्रशासन ने शपथ-पत्र दिया था, जिसमें मजदूरों को सिलिकोसिस पीड़ित बताया गया था। सिलिकोसिस पीड़ितों की संख्या 300 से घट कर 27 होने पर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ऐंड हेल्थ एशोसिएसन ऑफ झारखंड (ओसाज) ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी, जिसके आधार पर एनएचआरसी ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है।

उल्लेखनीय है कि सिलिकोसिस एक पेशागत बीमारी है। इसके पीड़ितों को सरकार की ओर से एक लाख मुआवजा इलाज के लिए मिलता है। वहीं, इस बीमारी से मौत होने पर आश्रितों का पांच लाख मिलते हैं।

जिले में लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या

पूर्वी सिंहभूम में सिलिकोसिस मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुसाबनी, डुमरिया और धालभूमगढ़ में करीब 253 मजदूर इसके शिकार हुए हैं। वहीं, 150 से ज्यादा लोगों की सिलिकोसिस से मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा सिलिकोसिस के क्षेत्र में काम करने वाली गैर सरकारी संस्था ओसाज की है। जिले में चल रही रैमिंग मास इंडस्ट्री में काम करने वाले शत-प्रतिशत मजदूर सिलिकोसिस के शिकार हैं।

सिलिकोसिस पीड़ितों के मुआवजेपर एनएचआरसी नेमांगी रिपोर्ट

https://www.livehindustan.com/jharkhand/jamshedpur/story-nhrc-seeks-report-on-compensation-for-silicosis-victims-8529733.html

जिलेके 300 सिलिकोसिस मजदूरों के मुआवजेपर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेसंज्ञान लिया हैऔर राज्य के मुख्य सचिव सेएक्शन टेकन रिपोर्ट मांग

जिलेके 300 सिलिकोसिस मजदूरों के मुआवजेपर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेसंज्ञान लिया हैऔर राज्य के मुख्य सचिव सेएक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। उक्त मजदूरों को अब तक जिला प्रशासन की ओर सेमुआवजा नहीं मिला है, जबकि सूची 2014 सेलेकर 2020 तक मेंतैयार हो गई थी। प्रशासन नेजब मुआवजेकी पहल की तो उसमें 27 मजदूरों का ही नाम था। 2014 मेंप्रशासन नेशपथ-पत्र दिया था, जिसमेंमजदूरों को सिलिकोसिस पीड़ित बताया गया था। सिलिकोसिस पीड़ितों की संख्या 300 सेघट कर 27 होनेपर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ऐंड हेल्थ एशोसिएसन ऑफ झारखंड (ओसाज) नेमानवाधिकार आयोग मेंशिकायत की थी, जिसके आधार पर एनएचआरसी नेमुख्य सचिव सेरिपोर्ट मांगी है। उल्लेखनीय हैकि सिलिकोसिस एक पेशागत बीमारी है। इसके पीड़ितों को सरकार की ओर सेएक लाख मुआवजा इलाज के लिए मिलता है। वहीं, इस बीमारी सेमौत होनेपर आश्रितों का पांच लाख मिलतेहैं।

जिलेमेंलगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या पूर्वी सिंहभूम मेंसिलिकोसिस मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुसाबनी, डुमरिया और धालभूमगढ़ मेंकरीब 253 मजदूर इसके शिकार हुए हैं। वहीं, 150 सेज्यादा लोगों की सिलिकोसिस सेमौत हो चुकी है। यह आंकड़ा सिलिकोसिस के क्षेत्र में काम करनेवाली गैर सरकारी संस्था ओसाज की है। जिलेमेंचल रही रैमिंग मास इंडस्ट्री मेंकाम करनेवालेशत-प्रतिशत मजदूर सिलिकोसिस के शिकार हैं।